an>

Title: Need to announce Flood Insurance Scheme for flood afflected fishermen.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय अध्यक्ष जी, एक नये सांसद के प्रति आपकी इस सहानुभूति के लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि आज के दिन जितनी भी असुरक्षित महिलाएं हैं, मैं उनके साथ एक भाई की तरह खड़ा हूं, ज्यादातर उत्तर-पूर्वांचल की महिलाओं के साथ। लेकिन जो मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह मछुआरों के कल्याण से संबंधित है। आज हमें बताया गया था कि ग्रुप एक्सीडेंट पर्सनल इंश्योरेंस नाम की एक स्कीम है जिसके डिटेल अनविलअर हैं लेकिन जो मछुआरे आज असम में हैं, उनकी संख्या में पहले से बहुत सुधार हुआ है। आज फिशिंग एक ऐसा सैक्टर है जहां पर पर हर साल चार प्रतिशत की एक बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। लेकिन असम के मछुआरों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो जितनी भी उनकी मछलियां हैं, वे बाढ़ के पानी में चली जाती हैं, जिससे उनका लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बाढ़ से पीडित मछुआरों के लिए एक स्पेसिफिक योजना लाए, ज्यादातर वे एसडीआरएफ से लाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आसाम के मछुआरों के लिए एक स्पेसिफिक फ्लड इंश्योरेंस स्कीम एनाउंस करे जिससे हर जिले में मछुआरों को जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वह न करना पड़े।

HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, you have given notice on the same subject on which Prof. Saugata Roy has given notice under Rule 115. But you have given the notice for 'Zero Hour'. I am calling for the factual note from the Minister. मुझे लगता है कि दोबारा आप वही बात ज़ीरो ऑवर में उठाएं तो यह उचित नहीं है। वहां से आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया है, जो एचआरडी डिपार्टमेंट ने सरकुलर इश्यू किये हैं, The Hon. Minister, Shri Venkaiah Naidu has stated that no circular has been issued. â€¦ (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहले इनको बोल लेने दीजिए। मेरा यह कहना है कि मैंने अगर रूलिंग दी है कि वहां से भी आने दो, I will give your papers also to the Minister.

...(*Interruptions*)